



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122024-259399
CG-DL-E-13122024-259399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2024/अग्रहायण 22, 1946

No. 204]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2024/AGRAHAYANA 22, 1946

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2024

का.नि.आ. 204(अ).— केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन कुमारी शर्मिला राई के त्याग पत्र के कारण उत्पन्न और पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा इसे स्वीकार करने के पश्चात, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन तारीख 09 मार्च 2024 को उक्त बोर्ड को विधिवत संप्रेषित करते हुए छावनी बोर्ड, बकलोह के नामित सदस्य के रिक्त पद को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 14(8)/2019-रक्षा(क्यू एंड सी)/वॉल्यूम-III]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2024

S.R.O. 204(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby notifies the vacancy of nominated member of Cantonment Board, Bakloh, occurring due to resignation of Miss Sharmila Rai under clause (b) of sub-section (1) of section 18 of the said Act, and after acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Western Command, duly communicating the same to the said Board on the 9th March, 2024, under sub-section (2) of section 18 of the said Act.

[F. No. 14(8)/2019-D(Q&C)/Vol-III]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.